न्यायालय, भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व वाद संख्या : **11/2020**
GCMS NO. : **2020/00012**

–: प्रार्थी:– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली

1. सोहनी पत्नी लाबूराम
2. हेमाराम पुत्र जीताराम के का०मु०
   - 2/1. पांचाराम पुत्र हेमाराम
   - 2/2. गणपत पुत्र हेमाराम
   - 2/3. चन्द्रादेवी पुत्री हेमाराम
   - 2/4. परमुड़ी पुत्री हेमाराम
   - 2/5. छोटूड़ी पुत्री हेमाराम
   - 2/6. मादुड़ी पुत्री हेमाराम
   - 2/7. पिस्ता पुत्री हेमाराम
   - 2/8. सनुदेवी पुत्री हेमाराम

जातियान– मेघवाल, निवासीगण– लाम्बिया, तहसील जैतारण, जिला– पाली।

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 व 131 भू० राज० अधिनियम 1956

तारीख रजू:. 22/01/2020

उपस्थित:– 1. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण।
2. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 12/08/2021**

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर निवेदन किया है कि मौजा–लाम्बियां, पटवार हल्का लाम्बियां, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.न. 660 का मिशल बदोबस्त (भू–प्रबंध सम्वत् 2011–2030) अनुसार कुल रकबा 96–01 बीघा हैं। वर्तमान जमाबंदी में दर्ज उक्त खसरा नम्बरान् के बट्टा नम्बर सहित खातेदारानों का कुल रकबा 110–13 बीघा दर्ज हैं। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वक्त भू–प्रबंध सरकारी थी। कालान्तर में इस भूमि का आबंटन/नियमन किया गया था। इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 660 का रकबा बट्टा नम्बर सहित भू–प्रबंध के रकबे से 14–12 बीघा भूमि अधिक दर्ज हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन में संलग्न प्रपत्र के विशेष विवरण के कॉलम में दर्ज नियमन/आबंटन की दिनांक क्रमानुसार निम्नानुसार बताई।

1. दिनांक 23/07/1962 को दो व्यक्तियों को 25–00 बीघा भूमि का आबंटन किया गया।
2. दिनांक 11/07/1963 को एक व्यक्ति को 15–00 बीघा भूमि आबंटन की गई।
3. दिनांक 02/08/1965 को दो व्यक्तियों को 13–12 बीघा भू[illegible]वंटन किया गया।
4. दिनांक 31/12/1967 को एक व्यक्ति को 1[illegible] गया।
5. दिनांक 17/06/1968 को एक व्यक्ति को 07–15 [illegible] किया गया।

इस प्रकार दिनांक 17.06.1968 तक 80–13 बीघा भूमि का आवंटन/नियमन किया जा चुका था। दिनांक 17.06.1968 को आवंटन/नियमन के पश्चात् 15–08 बीघा भूमि ही आवंटन/नियमन योग्य शेष रही थी।

6. दिनांक 22.06.1970 को दो व्यक्तियों हेमाराम पुत्र जीता को 15–00 बीघा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

लाबूराम पुत्र जीताराम को 15-00 बीघा भूमि कुल भूमि 30-00 बीघा का आवंटन कर दिया गया। जबकि उस दिनांक को आवंटन/नियमन योग्य 15-08 बीघा भूमि ही शेष थी। इस प्रकार 14-12 बीघा भूमि हेमाराम व लाबूराम को अधिक आवंटन कर दी गई।

इस प्रकार पटवारी कार्यालय में उपलब्ध आदेश पुस्तिका व नामान्तरकरणें में दर्ज आदेशों को दिनांक अनुसार आवंटन/नियमन का क्रम इस प्रकार रहा।

1. दिनांक 23/07/1962
2. दिनांक 11/07/1963
3. दिनांक 02/08/1965
4. दिनांक 31/12/1967
5. दिनांक 17/06/1968
6. दिनांक 22.06.1970

प्रार्थी ने निवेदन किया कि पश्चात्वर्ती आबंटन/नियमन के रकबें को वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व मिशल बंदोबस्त (भू-प्रबंध) रकबें को डीआईएलआरएमपी योजना के अंतर्गत समरूप मिलान करने हेतु कम किया जाना आवश्यक हैं, क्योकि इसके बिना भू नक्शा में तरमीम किया जाना संभव नहीं है तथा मूल खसरे का वक्त बन्दोबस्त के मूल रकबे एवं उससे बने सभी नवीन वर्तमान खसरान् की भूमि का कुल वर्तमान रकबा एक समान होना आवश्यक है। वर्तमान भू अभिलेख में दर्ज अधिशेष भूमि काल्पनिक, आधारहीन प्रविष्टि है जिसके कारण भू अभिलेख में त्रुटि उत्पन्न हो गई है। अतः इस हेतु वर्तमान जमाबंदी में दर्ज निम्नानुसार खसरा नम्बरान् के खातेदारों का रकबा कम कराने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया :-

क्र. स.	खसरा नम्बर	नाम
1	660/7	रकबा 09-12 बीघा (जो लाबूराम पुत्र जीताराम के वारिसान सोहन पत्नी लाबूराम के नाम दर्ज है, 07-06 बीघा कम करते हुये) के स्थान पर 02-06 बीघा कराने।
2	660/9	रकबा 13-16 बीघा(जो हेमाराम पुत्र जीताराम के नाम दर्ज है, 07-06 बीघा कम करते हुये।) के स्थान पर 06-10 बीघा करानें।

प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाब तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पेश करनें के अनेकानेक एवं अन्तिम से पर्याप्त अवसर तथा पर्याप्त अवसर देनें के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थनापत्र बन्द किया गया। बहस वकील अप्रार्थीगण व सरकारी पैरोकार का सुना।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। बहस विद्वान वकील अप्रार्थीगण एवं सरकारी पैरोकार पर गौर कर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:26 IST
Reason: SelfAttested

1. खतौनी बंदोबस्त संवत 2011-2030, ग्राम लाम्बिया के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम लाम्बिया के खसरा संख्या 660 रकबा 96-01 बीघा किस्म बारानी दोयम सिवाय चक खाता सरकार दर्ज है।

2. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात नामान्तरण पंजिका, भूमि आवंटन आदेश पुस्तिका, खतौनी बन्दोबस्त एवं जमाबन्दी ग्राम लाम्बिया के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं सलाहकार समिति द्वारा कृषि भूमि आवंटन हेतू उपलब्ध खसरा संख्या 660 के कुल रकबे 96-01 में से समय-समय पर निम्नानुसार भूमि आवंटन किया गयाः-

क्र. स.	भूमि आवंटन/नियमन दिनांक	आवंटी का नाम	आवंटित भूमि का रकबा	शेष भूमि
1.	23.07.1962	जीताराम पुत्र तारू मेघवाल	10-00 बीघा	86-01 बीघा
2.	23.07.1962	संग्राम पुत्र तारू मेघवाल	15-00 बीघा	71-01 बीघा
3.	11/07/1963	मांगीया पुत्र जीता कौम- भाम्बी	15-00 बीघा	56-01 बीघा
4.	02.08.1965	सुवटी बेवा हरदीन कौम- ढोली	04-08 बीघा	51-13 बीघा
5.	02.08.1965	अलादीन पुत्र इन्देखां कौम- भाट	09-04 बीघा	42-09 बीघा
6.	31.12.1967	सदीक पुत्र हाजी हुसैन कौम- ब्यौपारी	10-06 बीघा	32-03 बीघा
7.	31.12.1967	नूर मोहम्मद पुत्र खुदाबक्श कौम- ब्यौपारी	09-00 बीघा	23-03 बीघा
8.	17.06.1968	ईशाक पुत्र अब्दुल करीम	07-15 बीघा	15-08 बीघा
9.	22.06.1970	हेमाराम पुत्र जीता	15-00 बीघा	-14बीघा12बिस्वा
10.	22.06.1970	लाबूराम पुत्र जीता	15-00 बीघा	

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दिनांक 17.06.1968 को ईशाक पुत्र अब्दुल करीम को 07-15 बीघा भूमि आवंटन उपरांत खसरा संख्या 660 में कुल 15-08 बीघा भूमि ही शेष रही थी, जो आवंटन के लिये उपलब्ध थी, परन्तु दिनांक 22.06.1970 को एक ही दिन में किये गये दो पश्चातवर्ती आवंटन क्रमशः 1. हेमाराम पुत्र जीता तथा 2. लाबूराम पुत्र जीता को प्रत्येक को 15बीघा, 15बीघा कुल 30-00बीघा भूमि आवंटित कर दी गई, जो कि खसरा संख्या 660 में तत्समय् आवंटन हेतु उपलब्ध अधिशेष कुल भूमि 15-08 से 14-12 बिस्वा अधिक है। इस प्रकार उक्त अधिशेष -12 बीघा भूमि काल्पनिक एवं अनुपलब्ध है तथा इस सीमा तक आवंटन/नियमन या हस्तान्तरण या इस बाबत् की गई कोई प्रविष्टि/पारित आदेश आरम्भतः शून्य (Ab intio null & void) होता है तथा ऐसे बेसी/काल्पनिक एवं आरम्भतः शून्य आवंटन से भू अभिलेख में उत्पन्न त्रुटि को शुद्ध किया जाना आवश्यक एवं पूर्णतया विधि संगत है। आरम्भतः शून्य प्रविष्टियों को किसी भी स्तर पर किसी भी समय दुरूस्त किया जा सकता है तथा किया जाना ही चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:45:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

3. दिनांक 22.06.1970 को लाबूराम पुत्र जीताराम को 15-00 बीघा भूमि का आंवटन किया गया जो वर्तमान जमाबन्दी में खसरा संख्या 660/7 रकबा 09-12 बीघा आवंटी की पत्नी सोहनी के नाम, खसरा संख्या 660/19 रकबा 00-18 बीघा गै0मु0 सड़क N.H.A.I. के नाम, खसरा संख्या 660/11 आवंटी की पत्नी द्वारा बेचान से रवि राजा सोनी पुत्र प्रेमचन्द जाति- सोनी रकबा 01-04 बीघा आवासीय ईकाई प्रयोजनार्थ के नाम, खसरा नम्बर 660/10 उगमराज पुत्र बालमुकुन्द सोनी रकबा 01-04 बीघा आवासीय ईकाई प्रयोजनार्थ के नाम, खसरा संख्या 660/12 देव नारायण त्रिपाठी पुत्र वासुदेव त्रिपाठी रकबा 01-04 बीघा आवासीय ईकाई प्रयोजनार्थ के नाम, खसरा संख्या 660/21 रकबा 0-04 बीघा, खसरा संख्या 660/22 रकबा 0-04 बीघा खसरा संख्या 660/23 रकबा 0-04 बीघा गै0मु0 सड़क N.H.A.I. के नाम, खसरा संख्या 660/13 रकबा 0-02 बीघा, खसरा संख्या 660/14 रकबा 0-02 बीघा, खसरा संख्या 660/15 रकबा 0-02 बीघा राजस्थान सरकार रास्ता हेतु(समर्पण करनें से)दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवंटी लाबूराम पुत्र जीताराम को आवंटित भूमि कुल 15-00 बीघा में से हस्तान्तरण उपरांत वर्तमान में खसरा संख्या 660/7 रकबा 09-12 बीघा भूमि उपलब्ध है। इसी प्रकार आवंटी हेमाराम पुत्र जीता जिसे दिनांक 22.06.1970 को 15 बीघ भूमि आवंटित की गई जो वर्तमान में खसरा संख्या 660/9 रकबा 13-16 बीघा आवंटी के वारिसान के नाम तथा खसरा संख्या 660/18 रकबा 01-04 बीघा गै0मु0 सड़क N.H.A.I. के नाम, दर्ज है। इस प्रकार पश्चातवर्ती आवंटीयों को आवंटित अधिशेष/बेसी भूमि वर्तमान में खसरा संख्या 660/7 रकबा 09-12 बीघा एवं खसरा संख्या 660/9 रकबा 13-16 बीघा का भाग है। क्योंकि आवंटन उपरांत शेष भूमि का सम्बन्धित द्वारा हस्तान्तरित/समर्पण/भूमि अवाप्ति के फलस्वरूप प्रतिफल प्राप्त कर लिया गया है।

4. उक्त पश्चातवर्ती बेसी आवंटन वर्तमान में खसरा संख्या 660/7 रकबा 09-12 बिस्वा जो आवंटी लाबूराम पुत्र जीताराम के वारिसान सोहन पत्नी लाबूराम तथा खसरा संख्या 660/9 रकबा 13-16 बिस्वा जो आवंटी हेमाराम पुत्र जीताराम के वारिसान पांचाराम, गणपत पुत्र हेमाराम, चन्द्रादेवी, परमुड़ी, छोटूड़ी, मादुड़ी, पिस्ता, सनुदेवी पुत्रीयां हेमाराम के नाम दर्ज है, की भूमि में सम्मिलित है, क्योंकि यह पश्चातवर्ती आवंटन है तथा आवंटन के लिये भूमि उपलब्ध नहीं होते हुये भी एक ही दिन एक साथ उक्त दोनों आवंटियों को कुल 14-12 बीघा भूमि बेसी आवंटित कर दी गई जो आरम्भतः प्रभाव शून्य है। अतः उक्त दोनों खसरान् की भूमि में से एक समान अर्थात् 07-06, 07-06 बीघा भूमि कम किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

5. जमाबन्दी में दर्ज रकबा एवं भू नक्शा में एक समानता होना आवश्यक है। ग्राम लाम्बिया के खसरा संख्या 660 का भू प्रबन्ध से कुल रकबा 96-01 बीघा है तथा भू नक्शे में भी इतना ही रकबा तरमीम होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की पश्चातवर्ती प्रविष्टि से खसरे का मूल रकबा कम या अधिक नहीं किया जाना चाहिये यदि ऐसा किया जाता है या हो जाता है तो यह भू अभिलेखिये त्रुटि श्रेणी में आता है तथा त्रुटियां का शुद्ध किया जाना आवश्यक है। बिन्दू संख्या 2 से विदित स्पष्ट है कि अधिशेष/बेसी आवंटन के बावजूद सम्बन्धित खातेदारान् द्वारा भूमि का हस्तान्तरण किया गया है तथा यह भी पूरी आशंका है कि अभिलेखीय त्रुटि के आधार पर जमाबन्दी में अंकित काल्पनिक रकबे के आधार पर सम्बन्धित खातेदारान् द्वारा भविष्य में भी हस्तान्तरण किया जा सकता है, जिससे अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

6. वर्तमान में प्रदेश में भू अभिलेख(जमाबन्दी एवं नक्शा) का डिजिटाईजेशन हेतु फ्लैगशिप कार्यक्रम डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के अन्तर्गत समस्त भू अभिलेख ऑनलाईन एवं डिजिटाईज किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जमाबन्दी एवं भू नक्शा का मिलान आवश्यक है। उपर्युक्त खसरा संख्या 660 में पश्चातवर्ती बेसी आवंटन दिनांक 22.06.1970 जिसके द्वारा कुल 14-12 बीघा भूमि जमाबन्दी में अधिक होनें के कारण खसरा संख्या 660 से बने समस्त खसरान् की भूमि की तरमीम भू नक्शा में नहीं की जा सकती है। राजस्व विभाग ग्रुप-6 राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या No.F.4(1)Rev-6/06Pt/35 दिनांक 07.04.2021 के द्वारा तहसील जैतारण को ग्राम लाम्बिया के खसरा संख्या 660/1 से 660/22 को छोड़ते हुये भू अभिलेख को ऑनलाईन अधिसूचित किया जा चुका है तथा जब तक खसरा संख्या 660 के मूल और वर्तमान रकबा एकसमान नहीं हो जाता तब तक भू अभिलेख में तरमीम नहीं हो सकती तथा इसके अभाव में उक्त खसरान् की भूमि ऑनलाईन नॉटिफाईड नहीं की जा सकती।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ग्राम लाम्बिया के मूल भू प्रबन्ध खसरा संख्या 660 मूल कुल रकबा 96-01 बीघा में से पश्चातवर्ती आवंटन दिनांक 22.06.1970 को आवंटी क्रमशः हेमाराम पुत्र जीता एवं लाबूराम पुत्र जीता जिन्हें 15, 15 बीघा अर्थात् कुल 30 बीघ भूमि आवंटित की गई थी जो कि तत्समय् उक्त खसरा संख्या में आवंटन के लिये उपलब्ध कुल भूमि 15-08 बीघा से 14-12 बीघा अधिक/बेसी आवंटन है जो कि बेसी आवंटन की सीमा तक काल्पनिक एवं आधारहीन तथा त्रुटिपूर्ण है जो कि आरम्भतः प्रभाव शून्य है तथा इसके कारण भू अभिलेख में दर्ज अभिलेखीय त्रुटि की शुद्धि के लिये उपर्युक्त आवंटियों को आवंटित भूमि का वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खसरा संख्या 660/7 रकबा 09-12 बीघा एवं खसरा संख्या 660/9 रकबा 13-16 बीघा में से प्रत्येक से एक समान अर्थात 07-06, 07-06 बीघा अर्थात कुल 14-12 बीघा अधिशेष/बेसी भूमि कम करते हुये शेष प्रविष्टियों को यथावत रखते हुये भू अभिलेख में शुद्धि किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक समझते है, साथ ही शुद्धि उपरांत खसरा संख्या 660 से निर्मित समस्त खसरान् की भूमि की तरमीम भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत भू नक्शा में तरमीम किया जाना आवश्यक एवं विधि संगत है।

-: आदेश :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी तहसीलदार जैतारण अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। तहसील जैतारण ग्राम लाम्बिया के मूल भू प्रबन्ध खसरा संख्या 660 मूल कुल रकबा 96-01 बीघा में से पश्चातवर्ती आवंटन दिनांक 22.06.1970 को आवंटी क्रमशः हेमाराम पुत्र जीता एवं लाबूराम पुत्र जीता जिन्हें 15, 15 बीघा अर्थात् कुल 30 बीघ भूमि आवंटित की गई थी जो कि तत्समय् उक्त खसरा संख्या में आवंटन के लिये उपलब्ध कुल भूमि 15-08 बीघा से 14-12 बीघा अधिक/बेसी आवंटन है जो कि बेसी आवंटन की सीमा तक काल्पनिक एवं आधारहीन तथा त्रुटिपूर्ण है जो कि आरम्भतः प्रभाव शून्य है तथा इसके कारण भू अभिलेख में दर्ज अभिलेखीय त्रुटि की शुद्धि के लिये उपर्युक्त आवंटियों को आवंटित भूमि का वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खसरा संख्या 660/7 रकबा 09-12 बीघा एवं खसरा संख्या 660/9

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:45:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

रकबा 13-16 बीघा में से प्रत्येक से एक समान अर्थात 07-06, 07-06 बीघा अर्थात कुल 14-12 बीघा अधिशेष/बेसी भूमि कम करते हुये तथा शेष प्रविष्टियों को यथावत रखते हुये इसी मुताबिक भू अभिलेख में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को शुद्ध किये जावें तथा इसी मुताबिक भू नक्शे में मूल खसरा संख्या 660 से निर्मित समस्त खसरान् की भूमि की भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत तरमीम किये जावें हेतु पटवारी पटवार हल्का लाम्बिया एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत लाम्बिया को निर्देश दिये जाते है। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 12/08/2021 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:26 IST
Reason: SelfAttested